

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर (हनुमानगढ)

क्रमांक : /राजस्व/2017/04

दिनांक :- 15/1

अनवान:-

1706

19

1. अमरचन्द्र पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
सायल

बनाम

- 1 सरोज पत्नी स्व मुकेश जाति जाट निवासी लादुसर तहसील झूझनू ।
- 2 दीक्षा पुत्री स्व मुकेश जाति जाअ निवासी लादुसर तहसील झूझनू ।
- 3 रामीदेवी पत्नी गिरधारी जाति जाट निवासी लादुसर तहसील झूझनू ।
- 4 मंजू पुत्री गिरधारी जाति जाट साकिन लादुसर तहसील झूझनू ।
- 5 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
- 6 उप पजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर ।


गैरसायलान

आदेश बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उक्त अनवानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट न्यायालय में पेश होने पर सायल को प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय सुना जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबन्द किया जाता है कि वह रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 527/312 के खसरा न0 109/1 की 0.6575 हैक् खसरा न0 113/1 की 1.2903 हैक् भूमि की जबाब पेश होने तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

इस सम्बन्ध मे यदि गैरसायल को यदि कोई उज्र व एतराज हो तो इस न्यायालय मे आगामी तारीख पेशी को असालतन या वकालतन उपस्थित होकर वजह जाहिर करे अन्यथा कयो ना यह आदेश ताफैसला दावा कन्फर्म कर दिया जावे । बाद मियाद गुजरने कोई उज्र एवं एतराज नहीं सुना जावेगा।

यह स्थगन आदेश आज दिनांक 15.01.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।


उपखण्ड अधिकारी राजस्व
नोहर (हनुमानगढ)

वास्ते तामिल
तहसीलदार नोहर